भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-89

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान

†*89. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों की पहचान की है;
(ख) यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्य-वार और विशेषकर झारखंड में जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य डॉ. निशिकान्त दुबे और श्री मलविंदर सिंह कंग द्वारा 'शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 89 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य वर्ष 2018-19 से शुरू की गई स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात समग्र शिक्षा के माध्यम से प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक सभी के लिए स्कूल शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा योजना एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखे और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

इस विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) की पहचान की थी, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी, तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान के तहत ईबीबी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) को वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय के रूप में स्वीकृत किया गया था।

तथापि, जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा पिछड़े जिलों के सामाजिक परिणामों में सुधार के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सरकार के कार्यक्रम अब देश के आकांक्षी जिलों में मूलभूत ढांचे और अधिगम की कमी को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 112 आकांक्षी जिले हैं तथा पंजाब और झारखंड सहित आकांक्षी जिलों की राज्यवार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(घ) और (ड.): समग्र शिक्षा योजना (एसएसए) के माध्यम से सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मौजूदा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत करने, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाईज+) से निर्धारित अंतराल और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मूलभूत सुविधाओं के निर्माण और संवर्द्धन में सहायता करती है। स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की गणना प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर वृद्धिशील

आधार पर की जाती है तथा उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में दर्शाई जाती है। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन तथा अनुमोदन/अनुमान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है। इसके अलावा, एसएसए के तहत निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से एससी/एसटी/ईबीबी पर विशेष ध्यान दिया जाता है:

i. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी): समग्र शिक्षा के तहत केजीबीवी का प्रावधान है जो वंचित समूहों जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं। केजीबीवी की स्थापना के पीछे उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर को कम करना है। वर्तमान में देश भर में 5116 केजीबीवी में लगभग 1.93 लाख एससी, 1.82 लाख एसटी, 46,432 बीपीएल, 2.58 लाख ओबीसी और 28,479 मुस्लिम नामांकित हैं।

ii. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी) - समग्र शिक्षा एनएससीबीएवी नामक पहल के तहत आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का समर्थन करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लड़कियों, शहरी वंचित और अन्य वंचित बच्चों तक पहुंचना तथा दूरदराज के, कम आबादी वाले और दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जंगलों, जलमार्गों, नदियों आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं वाले बड़े निर्जन क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा तक समान पहुंच बनाना है। वर्तमान में समग्र शिक्षा के तहत 1179 आवासीय स्कूल/छात्रावास संस्वीकृत हैं (जिनमें झारखंड में 26 और पंजाब में 5 शामिल हैं)।

iii. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएमजनमन), जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और मिशन मोड में स्थायी आजीविका के अवसरों से संतृप्त करना है। शिक्षा मंत्रालय अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और पीएम-जनमन को समग्र शिक्षा योजना के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए 100 छात्रावासों के लिए 242.17 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की

गई है, जिसमें 57.6 करोड़ रुपये की वित्तीय रिलीज़ शामिल है। वर्ष 2024-25 के लिए 19 छात्रावासों के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

iv. आरटीई पात्रता - निःशुल्क वर्दी का प्रावधान: जहां भी राज्य सरकारों ने अपने राज्य आरटीई नियमों में बच्चों की पात्रता के रूप में स्कूल वर्दी के प्रावधान को शामिल किया है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले बच्चों को प्रति वर्ष प्रति बच्चा 600 रुपये की औसत लागत पर दो सेट वर्दी के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, विभाग पर्याप्त स्कूली मूलभूत ढांचा (डिजिटल सहित), शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक सहायता, पोषण, ईडब्ल्यूएस के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री), पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण), राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना, उल्लास- न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम जैसी योजनाओं को भी लागू कर रहा है ताकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान के साथ सभी छात्रों के अधिगम के परिणामों में सुधार हो सके।

उपरोक्त योजनाओं और उपायों से स्कूलों में सभी श्रेणियों के छात्रों के नामांकन को बढ़ाने में मदद मिली है। अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन (प्री-प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक) 2018-19 में 4.39 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 4.97 करोड़ हो गया है और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन 2018-19 में 2.33 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.60 करोड़ हो गया है। सामाजिक श्रेणियों के अनुसार नामांकन और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का विवरण **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

******

अनुलग्नक- I

माननीय संसद सदस्य डॉ. निशिकान्त दुबे और श्री मलविंदर सिंह कंग द्वारा 'शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 89 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

112 आकांक्षी जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतामराजू
2	आंध्र प्रदेश	पार्वतीपुरम मान्यम
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर.
4	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
5	असम	गोलपाड़ा
6	असम	बारपेटा
7	असम	हैलाकांडी
8	असम	बक्सा
9	असम	दरंग
10	असम	उदलगुरी
11	असम	धुबरी
12	बिहार	सीतामढ़ी
13	बिहार	अररिया
14	बिहार	पूर्णिया
15	बिहार	कटिहार
16	बिहार	मुजफ्फरपुर
17	बिहार	बेगूसराय
18	बिहार	खगरिया
19	बिहार	बांका
20	बिहार	शेखपुरा
21	बिहार	औरंगाबाद
22	बिहार	गया
23	बिहार	नवादा
24	बिहार	जमुई
25	छत्तीसगढ़	कोरबा
26	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव

क्र.सं.	राज्य	जिला
27	छत्तीसगढ़	महासमुंद
28	छत्तीसगढ़	कांकेर
29	छत्तीसगढ़	नारायणपुर
30	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा
31	छत्तीसगढ़	बीजापुर
32	छत्तीसगढ़	बस्तर
33	छत्तीसगढ़	कोंडागांव
34	छत्तीसगढ़	सुकमा
35	गुजरात	दाहोद
36	गुजरात	नर्मदा
37	हरियाणा	मेवात
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा
39	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा
40	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	बारामूला
41	**झारखंड**	**गढ़वा**
42	**झारखंड**	**छतरा**
43	**झारखंड**	**गिरिडीह**
44	**झारखंड**	**गोड्डा**
45	**झारखंड**	**साहिबगंज**
46	**झारखंड**	**पाकुर**
47	**झारखंड**	**बोकारो**
48	**झारखंड**	**लोहरदगा**
49	**झारखंड**	**पूर्वी सिंहभूम**
50	**झारखंड**	**पलामू**
51	**झारखंड**	**लातेहार**
52	**झारखंड**	**हजारीबाग**
53	**झारखंड**	**रामगढ़**
54	**झारखंड**	**दुमका**
55	**झारखंड**	**रांची**
56	**झारखंड**	**खूंटी**
57	**झारखंड**	**गुमला**

क्र.सं.	राज्य	जिला
58	**झारखंड**	**सिमडेगा**
59	**झारखंड**	**पश्चिमी सिंहभूम**
60	कर्नाटक	रायचुर
61	कर्नाटक	यादगीर
62	केरल	वायनाड
63	मध्य प्रदेश	छतरपुर
64	मध्य प्रदेश	दमोह
65	मध्य प्रदेश	बड़वानी
66	मध्य प्रदेश	राजगढ़
67	मध्य प्रदेश	विदिशा
68	मध्य प्रदेश	गुना
69	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
70	मध्य प्रदेश	खंडवा
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार
72	महाराष्ट्र	वाशिम
73	महाराष्ट्र	गडचिरोली
74	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
75	मणिपुर	चंदेल
76	मेघालय	रिभोई
77	मिजोरम	मामित
78	नगालैंड	किफाइर
79	ओडिशा	ढेंकनाल
80	ओडिशा	गजापति
81	ओडिशा	कंधमाल
82	ओडिशा	बलांगीर
83	ओडिशा	कालाहांडी
84	ओडिशा	रायगढ़
85	ओडिशा	कोरापुट
86	ओडिशा	मल्कानगिरी
87	ओडिशा	नबरंगपुर
88	ओडिशा	नुआपाड़ा

क्र.सं.	राज्य	जिला
89	**पंजाब**	**मोगा**
90	**पंजाब**	**फिरोजपुर**
91	राजस्थान	धौलपुर
92	राजस्थान	करौली
93	राजस्थान	जैसलमेर
94	राजस्थान	सिरोही
95	राजस्थान	बारां
96	सिक्किम	सोरेंग
97	तमिलनाडु	विरुधुनगर
98	तमिलनाडु	रामानाथपुरम
99	तेलंगाना	आसिफाबाद
100	तेलंगाना	भूपालपल्ली
101	तेलंगाना	भद्राद्री-कोठागुडेम
102	त्रिपुरा	धलाई
103	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
104	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर
105	उत्तर प्रदेश	बहराईच
106	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
107	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
108	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
109	उत्तर प्रदेश	चंदौली
110	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
111	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
112	उत्तराखंड	हरिद्वार

अनुलगनक- II

माननीय संसद सदस्य डॉ. निशिकान्त दुबे और श्री मलविंदर सिंह कंग द्वारा 'शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 89 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सामाजिक श्रेणियों के अनुसार नामांकन का विवरण (पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक)

वर्ष	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	सामान्य	कुल
2018-19	4,39,45,437	2,32,95,960	10,52,69,154	6,36,12,293	23,61,22,844
2019-20	4,93,65,209	2,60,36,960	11,76,27,338	7,14,98,068	26,45,27,575
2020-21	4,94,46,658	2,58,48,850	11,72,60,098	7,18,94,381	26,44,49,987
2021-22	4,97,49,996	2,59,82,509	11,80,94,097	7,14,09,228	26,52,35,830

सामाजिक श्रेणियों और शिक्षा के स्तर के अनुसार सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का विवरण

वर्ष	शिक्षा का स्तर	अ.जा.	अ.ज.जा.	समग्र
2018-19	प्राथमिक	105.3	101.6	96.1
	उच्चतर माध्यमिक	51.3	42.2	50.1
2019-20	प्राथमिक	107.1	102.1	97.8
	उच्चतर माध्यमिक	52.9	42.9	51.4
2020-21	प्राथमिक	108.6	102.7	99.1
	उच्चतर माध्यमिक	56.1	45.2	53.8
2021-22	प्राथमिक	109.7	103.4	100.1
	उच्चतर माध्यमिक	61.5	52	57.6

*स्रोत: यूडाइज़+

नोट: ओबीसी के लिए अनुमानित जनसंख्या उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी के लिए जीईआर की गणना नहीं की गई है।

******